संख्या-25/2022/2155322/2022/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक: 10 अगस्त,2022**

विषय-बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को सरलीकृत करते हुए, नई "कन्या विवाह सहायता योजना" पर अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2236-37/भ0नि0बो0-(2110)-2022, दिनांक 30-06-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 52 वीं बैठक दिनांक-28.04.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या: 35.3 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कन्या विवाह सहायता योजना को सरलीकृत करते हुए, नई " कन्या विवाह सहायता योजना" का ड्राफ्ट तैयार कर बोर्ड की 54 वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में अनुमोदन प्राप्त कर उक्त पर अनापत्ति दिये जाने के साथ ही वर्तमान में संचालित "कन्या विवाह सहायता योजना" को नई योजना की अधिसूचना की तिथि से स्वत: समाप्त किये जाने पर भी शासन से अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सचिव, बोर्ड द्वारा नई " कन्या विवाह सहायता योजना" का ड्राफ्ट (प्रारूप) उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

1-योजना का नाम- **कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)**

2-योजना का उददेश्य-

इस योजना का मूल उददेश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य वयवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।

3-पात्रता-

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य है साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लिये ऐसे अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष(365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों।

4-आवेदन की प्रक्रिया-

विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन करना होगा, परन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नहीं चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।

II. निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा।

III. संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।

IV. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो।

V. पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

VI. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

VII. विवाह होने संबंधी(वर-वधू) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो।

VIII. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

IX. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5-देय हितलाभ का विवरण-

I. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रू0 55,000/- (रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 61,000/- (रूपये इकसठ हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रू0 65,000/- (रूपये पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 7,000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रू0 5000/- प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 01 सप्ताह पूर्व पंजीकृत श्रमिक के खाते में अन्तरित की जायेगी एवं यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में सामान्य/अन्तरर्जातीय विवाह (जैसी भी स्थिति हो) में देय धनराशि में पोशाक हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

II. यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की 02 संतानों की सीमा के अधीन तक ही अनुमन्य होगी।

III. पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता/माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह-विच्छेद वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। विवाह विच्छेद के प्रकरणों में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि तथा पति की मृत्यु के उपरान्त किये जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक अभिलेख के रूप में वॉछित होंगे। पुनर्विवाह के प्रकरणों में देय हितलाभ की धनराशि सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य होगी।

IV. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

6-हितलाभ स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

श्रमिक द्वारा पुत्री के विवाह होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन ऑनलाइन करना होगा, परन्तु श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर जाँच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर(विवाह पूर्व आवेदन की स्थिति में विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त वांछित अभिलेख संलग्न करने के 15 दिन के भीतर) अपनी अनुशंसा की जायेगी। स्वीकर्ता अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर/उपश्रमायुक्त द्वारा अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त समय-सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

7-कठिनाइयों का निवारण-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशा निर्देश आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

3- सचिव, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्तानुसार ड्राफ्ट/प्रारूप पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि बोर्ड, प्रश्नगत योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का पूर्णतः अनुपालन पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में सुनिश्चित करायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के संबंध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

संख्या-25/2022/2155322(1)/2022/श्रम-2,तददिनांक,

प्रतिलिपि:-

1-श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।